

कार्यालय जिला परिषद, नवादा।

आम सूचना।

सर्वसाधारण को यह सूचित किया जाता है कि जिला परिषद, नवादा के निम्नांकित बस/वाहन पड़ाव तथा बाजार एवं सैरात (तालिका दो में वर्णित) की दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 तक (वित्तीय वर्ष-2018-19) की अवधि के लिए दैनिक चुंगी वसूली हेतु उप विकास आयुक्त-सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, नवादा द्वारा निम्न तालिका एक में वर्णित तिथियों एवं स्थान पर खुली डाक से बन्दोवस्ती की जायेगी। किसी भी चरण में यदि तीन डाकवक्ता उपस्थित हो जाते हैं तो डाक की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी जायेगी।

तालिका-01

क्र०	चरण	तिथि	स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	प्रथम	05.03.2018 06.03.2018 07.03.2018	समाहारणालय स्थित विकास भवन का सभागार कक्ष	
2	द्वितीय	12.03.2018 13.03.2018 14.03.2018	तथैव	
3	तृतीय	19.03.2018 20.03.2018 21.03.2018	तथैव	
4	चतुर्थ	26.03.2018 27.03.2018 28.03.2018	तथैव	

बन्दोवस्ती के नियम एवं शर्तों की जानकारी के लिए जिला की वेबसाइट

www.nawada.bih.nic.in पर अवलोकन किया जा सकता है। साथ ही जिला परिषद कार्यालय से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इच्छुक डाकवक्ता उपर्युक्त तालिका-01 में वर्णित तिथियों को निम्न तालिका संख्या-02 में वर्णित सभी सैरातों के लिए खुली डाक में भाग ले सकते हैं।

तालिका-02

क्र०	बस एवं टैक्सी पड़ाव/दैनिक बाजार की चुंगी का नाम	अग्रघन की राशि 10%	सुरक्षित जमा राशि	कार्यालय पत्रांक से निर्धारित सुरक्षित जमा
1	2	3	4	5
1	बस पड़ाव बुधौल, खाता नं० 252, खेसरा नं० 1101 रक्वा 4 एकड़	7,00,000	70,00,000	ज्ञापांक-138, दिनांक-24.02.2016
2	बस पड़ाव सं०-3 नवादा, खाता नं० 236, खेसरा नं० 504 रक्वा 0.05 एकड़	7,20,000	72,00,000	तथैव
3	बस पड़ाव धमौल, खाता नं० 501, खेसरा नं० 442 रक्वा 0.05 एकड़	36,685	3,66,850	ज्ञापांक-18, दिनांक-09.01.2016
4	बस पड़ाव सिरदला, खाता नं० 656, खेसरा नं० 3090 रक्वा 0.34 एकड़	1,75,490	17,54,900	तथैव
5	बस पड़ाव रजौली, खाता नं० 29, खेसरा नं० 72 रक्वा 1.52 एकड़	3,95,025	39,50,250	तथैव
6	दैनिक चुंगी वसूली बाजार रजौली, खाता नं० 255 खेसरा नं० 246, 223, 324, किस्म सड़क जिला परिषद सड़क के दोनों किनारे	69,230	6,92,300	तथैव
7	दैनिक चुंगी वसूली बाजार पकरीबरावों खाता नं० 2614 खेसरा नं० 12803,12091,12092, 13086,10599,10600 किस्म सड़क जिला परिषद सड़क के दोनों किनारे	21,201	2,12,011	तथैव

उपर्युक्त तालिका-02 के कालम-04 में सुरक्षित जमा राशि का निर्धारण वर्ष-2016 में ही निर्धारित होने के कारण वर्ष-2018-19 के लिए यथावत रखा गया है।

सामान्य शर्त :-

- (1) डाक में भाग लेने वाले व्यक्ति के लिए निर्धारित अग्रघन की राशि रोकड़पाल, जिला परिषद, नवादा के पास जमा करना अनिवार्य होगा। तथा मूल रसीद के साथ ही भाग ले सकते हैं।
- (2) बन्दोवस्तधारी को बस पड़ाव एवं बाजार में दैनिक चुंगी की वसूली पूर्व निर्धारित दर के आधार पर करना होगा।

Chungi Dar

- (3) डाकवक्ता को डाक बोलने के पूर्व संबंधित जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत अद्यतन आवासीय: चरित्र प्रमाण पत्र एवं फोटो युक्त पहचान पत्र (आधार कार्ड एवं पैन कार्ड) जिला परिषद कार्यालय में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
- (4) जिस डाकवक्ता के पास पूर्व से डाक की बकाया राशि लंबित होगी। उन्हें डाक में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा।
- (5) डाकवक्ता को जिला परिषद कार्यालय नवादा का पूर्व से बकाया राशि नहीं रहने का शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा।
- (6) उच्चतम डाक बोलने वाले व्यक्ति को बन्दोवस्ती की आधी राशि एवं बन्दोवस्ती राशि का 03 प्रतिशत मुद्रांक शुल्क सहित कुल राशि दुसरे दिन बी0डी0 (मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, नवादा के पद नाम से) के माध्यम से जमा करनी होगी। जमा नहीं करने की स्थिति में क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय डाक वक्ता से **Negotiate** किया जायेगा।
बन्दोवस्ती के शेष बची आधी राशि दो बराबर किस्तों में दिनांक-30.06.2018 एवं 30.09.2018 को बी0डी0 (मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, नवादा के पद नाम से) के माध्यम से बन्दोवस्तधारक को जमा करना होगा। जमा नहीं किये जाने की स्थिति में बन्दोवस्ती राशि की वसूली हेतु निलाम पत्र वाद एवं अन्य कार्रवाई की जायेगी।
- (7) बन्दोवस्ती को पूर्ण या आंशिक रूप से रद्द करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, नवादा के पास सुरक्षित होगा।

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, अध्यक्ष, 21/2/18
 जिला परिषद, नवादा।, जिला परिषद, नवादा।, जिला परिषद, नवादा।
 ज्ञापांक - 48 / जि0परि0 नवादा दिनांक - 21/2/2018
 प्रतिलिपि:- निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं दो हिन्दी दैनिक समाचार पत्र यथा हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, अध्यक्ष, 21/2/18
 जिला परिषद, नवादा।, जिला परिषद, नवादा।, जिला परिषद, नवादा।
 ज्ञापांक - 48 / जि0परि0 नवादा दिनांक - 21/2/2018
 प्रतिलिपि:- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी नवादा को सूचनार्थ प्रेषित, अनुरोध है कि जिला परिषद, नवादा के नियम एवं शर्तों को जिले के वेबसाइट **www.nawada.bih.nic.in** पर प्रकाशित किया जाय।

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, अध्यक्ष, 21/2/18
 जिला परिषद, नवादा।, जिला परिषद, नवादा।, जिला परिषद, नवादा।
 ज्ञापांक - 48 / जि0परि0 नवादा दिनांक - 21/2/2018
 प्रतिलिपि:- अनुमण्डल पदाधिकारी, नवादा/रजौली, जिला अभियंता, जिला परिषद, नवादा/जिला जनसम्पर्क पदा0, नवादा/कार्यापालक पदा0, नगर परिषद, नवादा/सभी प्रखण्ड विकास पदा0/सभी अंचलाधिकारी, जिला -नवादा को सूचनार्थ एवं जानकारी हेतु कार्यालय के नोटिश बोर्ड पर प्रदर्शन हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, अध्यक्ष, 21/2/18
 जिला परिषद, नवादा।, जिला परिषद, नवादा।, जिला परिषद, नवादा।
 ज्ञापांक - 48 / जि0परि0 नवादा दिनांक - 21/2/2018
 प्रतिलिपि:- उप महालेखाकार (वित्त एवं अंकेक्षण) महालेखाकार का कार्यालय बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।
 प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, नवादा/पुलिस अधीक्षक, नवादा को सादर सूचनार्थ समर्पित।
 प्रतिलिपि:- आयुक्त मगध प्रमण्डल, गया को सादर सूचनार्थ समर्पित।
 प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, अध्यक्ष, 21/2/18
 जिला परिषद, नवादा।, जिला परिषद, नवादा।, जिला परिषद, नवादा।
 ज्ञापांक - 48 / जि0परि0 नवादा दिनांक - 21/2/2018
 प्रतिलिपि:- उप महालेखाकार (वित्त एवं अंकेक्षण) महालेखाकार का कार्यालय बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

कार्यालय जिला परिषद, नवादा।

जिला परिषद, नवादा द्वारा बस एवं टैक्सी पड़ावों/दैनिक चुंगी वसूली बाजार की बन्दोवस्ती के नियम एवं शर्त

- (1) जिला परिषद, नवादा द्वारा संचालित बस एवं टैक्सी पड़ावों/दैनिक चुंगी वसूली बाजार की बन्दोवस्ती खुले डाक द्वारा की जायेगी।
- (2) डाक में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति निर्धारित तिथि के पूर्व अग्रधन की राशि रोकड़पाल, जिला परिषद, नवादा के पास जमा कर मूल्य रसीद प्राप्त करने के पश्चात ही डाक में भाग ले सकते हैं।
- (3) उच्चतम डाक बोलने वाले व्यक्ति को बन्दोवस्ती की आधी राशि एवं बन्दोवस्ती राशि का 03 प्रतिशत मुद्रांक शुल्क सहित कुल राशि दुसरे दिन बी0डी0 (मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, नवादा के पद नाम से) के माध्यम से जमा करनी होगी। जमा नहीं करने की स्थिति में क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय डाक वक्ता से Negotiate किया जायेगा।
बन्दोवस्ती के शेष बची आधी राशि दो बराबर किस्तों दिनांक-30.06.2018 एवं 30.09.2018 को बी0डी0 (मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, नवादा के पद नाम से) के माध्यम से बन्दोवस्तधारक को जमा करना होगा। जमा नहीं किये जाने की स्थिति में बन्दोवस्ती की राशि वसूली हेतु निलाम पत्र वाद एवं अन्य कार्रवाई की जायेगी।
- (4) अत्याधिक स्पर्धा होने पर जैसे-जैसे डाक की राशि बढ़ेगी वैसे-वैसे अनुपातिक राशि जमा करने के पश्चात ही डाकवक्ता आगे बोली बोल सकेंगे।
- (5) किसी भी प्रकार की विधि व्यवस्था, प्राकृति आपदा, वाहन हड़ताल तथा अन्य स्थानीय कारणों से हानि की स्थिति में बन्दोवस्ती की राशि में किसी तरह की छूट अथवा क्षतिपूर्ति करने का दायित्व जिला परिषद पर नहीं होगा।
- (6) जिला परिषद का पूर्व बकायादार डाक में भाग नहीं ले सकेंगे। पूर्व बकायेदार डाक प्रारम्भ होने के पूर्व बकाया राशि जमा कराकर प्राप्ति रसीद के साथ डाक में भाग ले सकेंगे।
- (7) उच्चतम डाक की पूरी राशि निर्धारित तिथि तक जमा नहीं करने पर अग्रधन की राशि जप्त कर ली जायेगी एवं आवेदकों के साथ क्रमानुसार यह प्रक्रिया लागू रहेगी। तथा द्वितीय वक्ता/तृतीय वक्ता के साथ बन्दोवस्ती की कार्रवाई की जायेगी।
- (8) नियम एवं शर्त के तहत बस एवं टैक्सी पड़ावों/दैनिक चुंगी वसूली बाजार की बन्दोवस्ती तथा एकरारनामा करने के बाद अन्य आवेदक का अग्रधन वापस कर दिया जायेगा।
- (9) एकरारनामा/निबन्धन का खर्च बन्दोवस्तधारी को स्वयं वहन करना होगा। ऐसा नहीं करने पर बन्दोवस्ती मान्य नहीं होगी एवं उच्चतम दूसरे डाकवक्ता के साथ बन्दोवस्ती कर दी जायेगी।
- (10) निर्धारित चुंगी के अतिरिक्त राशि वसूली किये जाने पर 5000.00 (पाँच हजार) रुपये दंड के रूप में वसूलनीय होगी एवं डाकवक्ता का नाम काली सूची में डाल दिया जायेगा।
- (11) बस एवं टैक्सी पड़ावों/दैनिक चुंगी वसूली बाजार की बन्दोवस्ती वर्ष 2018-19 (यानि दिनांक 01.04.18 से 31.03.19) के लिए की जा रही है।
- (12) बिना कारण बताये बस एवं टैक्सी पड़ावों/दैनिक चुंगी वसूली बाजार की बन्दोवस्ती स्वीकृत या अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, नवादा के पास सुरक्षित होगा।
- (13) बस एवं टैक्सी पड़ावों/दैनिक चुंगी वसूली बाजार की सफाई एवं विधि व्यवस्था बन्दोवस्तधारी को स्वयं करना होगा।
- (14) अपराधिक चरित्र के व्यक्ति के साथ बस एवं टैक्सी पड़ावों/दैनिक चुंगी वसूली बाजार की बन्दोवस्ती नहीं की जायेगी।
- (15) उच्चतम डाक बोलने वाले व्यक्ति को बन्दोवस्ती की आधी राशि एवं बन्दोवस्ती राशि का 03 प्रतिशत मुद्रांक शुल्क सहित कुल राशि दुसरे दिन बी0डी0 (मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, नवादा के पद नाम से) के माध्यम से जमा करना अनिवार्य होगा। अग्रधन के रूप में जमा की गई राशि का समायोजन बाद में किया जायेगा।
- (16) इच्छुक व्यक्ति नियम एवं शर्त की जानकारी मो0 500.00 रुपये नगद जमा कर जिला परिषद कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।
- (17) यदि सफल डाकवक्ता डाक के समय बोली गयी उच्चतम डाक की राशि की आधी राशि एवं बन्दोवस्ती राशि का 03 प्रतिशत मुद्रांक शुल्क सहित कुल राशि दुसरे दिन बी0डी0 (मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, नवादा के पद नाम से) के माध्यम से जमा करने में असफल होंगे तो उनके द्वारा जमा की गयी अग्रधन राशि को जब्त कर ली जाएगी एवं द्वितीय अधिकतम डाकवक्ता के साथ सैरात की बन्दोवस्ती पर विचार किया जा सकता है।

(18) जिला परिषद द्वारा चुंगी वसूली करने के लिये निम्नलिखित दर है :-

बस एवं टैक्सी पड़ाव बुधौल एवं बस पड़ाव सं० 3 नवादा की चुंगी वसूली दर

1	बस	115.00
2	मिनी बस	70.00
3	टाटा मैक्सी	60.00
4	जीप	35.00
5	टेम्पो	10.00

बस एवं टैक्सी पड़ाव रजौली/सिरदला/धमौल की चुंगी वसूली दर

1	बस	55.00
2	मिनी बस	50.00
3	टाटा मैक्सी	30.00
4	जीप	20.00
5	टेम्पो	10.00

दैनिक चुंगी वसूली बाजार रजौली/पकरीबरावों

1	ठेला	5.00 प्रतिदिन
2	सब्जी बिक्रेता	10.00 प्रतिदिन
3	फुटपाथ बिक्रेता	5.00 प्रतिदिन
4	फूल बिक्रेता	5.00 प्रतिदिन
5	मछली बिक्रेता	10.00 प्रतिदिन
6	झुग्गी झोपड़ी	5.00 प्रतिदिन
7	गुमटी	10.00 प्रतिदिन

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
जिला परिषद, नवादा।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, नवादा।

अध्यक्ष,
जिला परिषद, नवादा।

प्रतिलिपि:-

ज्ञापांक - 49 / जि०परि० नवादा दिनांक - 21/12/2018

जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी नवादा को सूचनार्थ प्रेषित, अनुरोध है कि जिला परिषद, नवादा के नियम एवं शर्तों को जिले के वेबसाइट

www.nawada.bih.nic.in पर प्रकाशित किया जाय।

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
जिला परिषद, नवादा।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, नवादा।

अध्यक्ष,
जिला परिषद, नवादा।

प्रतिलिपि:-

ज्ञापांक - 49 / जि०परि० नवादा दिनांक - 21/12/2018

अनुमण्डल पदाधिकारी, नवादा/रजौली, जिला अभियंता, जिला परिषद, नवादा/जिला जनसम्पर्क पदा०, नवादा/कार्यपालक पदा०, नगर परिषद, नवादा/सभी प्रखण्ड विकास पदा०/सभी अंचलाधिकारी, जिला -नवादा को सूचनार्थ एवं जानकारी हेतु कार्यालय के नोटिफिकेशन बोर्ड पर प्रदर्शन हेतु प्रेषित

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
जिला परिषद, नवादा।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, नवादा।

अध्यक्ष,
जिला परिषद, नवादा।

प्रतिलिपि:-

ज्ञापांक - 49 / जि०परि० नवादा दिनांक - 21/12/2018

जिला पदाधिकारी, नवादा/पुलिस अधीक्षक, नवादा को सादर सूचनार्थ समर्पित।

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
जिला परिषद, नवादा।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, नवादा।

अध्यक्ष,
जिला परिषद, नवादा।

Chungi Dar